

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स किसान भवन जेल रोड भोपाल

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/विविध/29/752
प्रति

भोपाल दिनांक 29/03/2022

संयुक्त संचालक/उप संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय भोपाल/उज्जैन/
रीवा/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर।

कार्यपालन यंत्री
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल संभाग क्रमांक-02/तकनीकी संभाग भोपाल /इंदौर /उज्जैन/
जबलपुर/ग्वालियर/सागर/रीवा/होशंगाबाद/सिवनी/मुरैना/खरगोन/ मंदसौर।

विषय :- मंहगाई भत्ते के भुगतान किये जाने के संबंध में।
संदर्भ :- म. प्र. शासन वित्त विभाग भोपाल के जाप क्रमांक एफ 4-1/2021/नियम/चार
दिनांक 21 मार्च 2022।

---000---

म. प्र. शासन वित्त विभाग भोपाल के जाप क्रमांक एफ 4-1/2021/नियम/चार
दिनांक 21 मार्च 2022 के द्वारा राज्य शासन के अधिकारी और कर्मचारियों को सातवे
वेतनमान अन्तर्गत वर्तमान में प्रचलित मंहगाई भत्ते की दर 20 प्रतिशत के स्थान पर
दिनांक 01.03.2022 से 31 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है। (जाप की छायाप्रति संलग्न है।)

अवधि जब से देय	मंहगाई भत्ते की वृद्धि
सातवे वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर दिनांक 01.03.2022 से (भुगतान माह अप्रैल 2022)	11 प्रतिशत (कुल 31 प्रतिशत)

अतः आंचलिक मण्डी बोर्ड कार्यालय, तकनीकी कार्यालयों, कृषि उपज मण्डी
समितियों में राज्य मण्डी बोर्ड सेवा/मंडी समिति सेवा के अन्तर्गत कार्यरत
अधिकारी/कर्मचारियों को संदर्भित जाप अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अध्याधीन नियमानुसार
मंहगाई भत्ते के भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार
(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

क्रमांक/बोर्ड कार्मिक/ख/विविध/29/753

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रेषित।

- 1- अपर संचालक (वित्त) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
- 2- उप संचालक (वित्त) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

अपर संचालक (कार्मिक)

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

भोपाल दिनांक 29/03/2022

अपर संचालक (कार्मिक)

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक : एफ 4-1 / 2021 / नियम / चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2022

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय - शासकीय सेवकों को देय मंहगाई भत्ते की दर में मार्च, 2022 से वृद्धि।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-1 / 2021 / नियम / चार दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को माह अक्टूबर, 2021 (भुगतान माह नवम्बर, 2021) से सातवें वेतनमान में 20% की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त दरों में वृद्धि करते हुये निम्नानुसार तिथि व दर से मंहगाई भत्ता दिया जाये:-

अवधि जब से देय	मंहगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत
सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता की दर दिनांक 01-03-2022 से (भुगतान माह अप्रैल, 2022)	11%

3/ उपरोक्त वृद्धि के उपरांत मंहगाई भत्ते की दर 01 मार्च, 2022 से (भुगतान माह अप्रैल, 2022) कुल 31% हो जायेगी।

4/ मंहगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

5/ मंहगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जायेगा।

6/ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन आदेशों के अन्तर्गत देय मंहगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)

उप सचिव

म.प्र.शासन, वित्त विभाग


निरंतर.....2

पृष्ठा. क्रमांक एफ 4-1 / 2021 / नियम / चार
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 21 मार्च, 2022

1. राज्यपाल, मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल
5. सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
6. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर
8. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री मध्यप्रदेश राज्य शासन भोपाल
10. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
11. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
12. महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर
13. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल
14. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
15. अध्यक्ष, कर्मचारी कल्याण, बी-1 गोमतिका परिसर, भोपाल ।
16. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल
17. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
18. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
19. समस्त प्राचार्य, लेखा परीक्षण शाला, मध्यप्रदेश।
20. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल ।
21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
22. समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
23. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


21/03/2022
(विवेक कुमार धारू)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग